

संख्या- 3-2025-डीएफए-1032049-38-7099-99-58-2022

प्रेषक,

अमनदीप डुली,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 05-03-2025

विषय: मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित की जा रही खाद्य गोदाम के साथ भूमि की उपलब्धता के अनुसार रूरल हॉट बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों के वयस्क सदस्यों को मांग के अनुरूप अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराते हुए स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत अन्य विभागों के सहयोग से ग्रामीण अवस्थापना संबंधी कार्य खाद्य गोदाम (अन्नपूर्णा भवन) का सृजन किया जा रहा है। इसके साथ ही मनरेगा योजना के अन्तर्गत रूरल हॉट निर्माण कार्य भी अनुमन्य है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामर्थ्य मैनुअल के पृष्ठ

संख्या-198 पर योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ग्रामीण हॉट की डिजाइन का उल्लेख किया गया है।

योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले खाद्य गोदाम के स्थल के निकट भूमि की उपलब्धता के अनुसार सामर्थ्य मैनुअल में दिये गये डिजाइन के अनुरूप रूरल हॉट का निर्माण कार्य भी कराया जाना है। रूरल हॉट का संचालन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा किया जाना है। इससे अन्नपूर्णा भवन के पास ही वस्तुओं को क्रय करने का विकल्प राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को हो जाने से उनकी आजीविका संवर्द्धन में प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित की जा रही खाद्य गोदाम के साथ भूमि की उपलब्धता के अनुसार रूरल हॉट बनाये जाने के संबंध में योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

संख्या- 3-2025-डीएफए-1032049-38-7099-99-58-2022तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।